प्रकरण संख्या :– 17/25
तहसीलदार म0 थाना बनाम कसन वगै0
निर्णय दिनाँक :– 24.04.2026

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज0)

पीठासीन अधिकारी:– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 17/25
दायर दिनाँक :– 25.09.2025
निर्णय दिनाँक:– 24.04.2026

उनवान :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 मनोहरथाना

बनाम

कसन वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 01. श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, पैरोकार सरकार
02. श्रीमति ममता लोधा एडवोकेट अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा सेटलमेंट से पूर्व सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण की गैर–खातेदारी में दर्ज आराजी के स्थान पर राजकीय भूमि गैर–मुमकीन सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी ख0 नं0 229, 236, 420, 421, 627, 647, 650, 85, 903/727 किता 09 कुल रकबा 8.6034 हैक्टैयर भूमि अप्रार्थीगण के गैरखातेदारी में राजस्व रिकार्ड दर्ज है। तहसील म0थाना के राजस्व ग्राम पिण्डोला तहसील म0 थाना की उक्त प्रश्नगत आराजी कुल कितर 09 कुल रकबा 8.6034 हैक्टेयर भू प्रबंधन विभाग द्वारा अमरा पुत्र गोदड़, भीमा पुत्र भवाना जाति चमार नि0 पिण्डोला तहसील मनोहरथाना की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई जो कि राजकीय भूमि थी जिसे किसी दूसरे व्यक्ति/संस्था के पक्ष में गैर–खातेदार नहीं किया जा सकता था, सेटलमेंट जमाबंदी में आवंटन आदेश व दिनांक एवं नामान्तकरण संख्या का अंकन नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गैर–खातेदारी गलत दर्ज की गई है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है जिस हेतु नकल जमाबंदी भी प्रार्थना पत्र के संलग्न की गई है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी ख0 नं0 229, 236, 420, 421, 627, 647, 650, 85, 903/727 किता 09 कुल रकबा 8.6034 हैक्टैयर को सेटलमेंट विभाग द्वारा की

24.4.26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

गई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर अप्रार्थीगण की गैर—खातेदारी के स्थान पर माफी बलाईगिरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण गैर—खातेदार को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील न्यायालय हाजा को प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्रीमति ममता लोधा का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तामिल कुनिन्दा अप्रार्थी संख्या 01 कंकूबाई का फोत होना बताया गया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 5, 9, व 21 के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रस्तुत वाद में हम प्रतिवादीगणों का जमाबंदी में नाम अंकित है, हम जायज खातेदार व वारिस है प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावें। प्रकरण को वरियता के आधार पर निस्तारण हेतु रखा जाकर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि मुताबिक पटवारी मौका रिपोर्ट एवं जमाबंदी ग्राम पिण्डोला की प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 159 किता 09 रकबा 8.6034 हैक्टेयर भूमि बंदोबस्त से अमरा पि0 गोदड़ व भीमा पि0 भवाना जाति रैदास की गैर—खातेदारी में दर्ज है जो कि माफी बलाईगिरी से सम्बंधित बताई गई है। खातेदारी देने हेतु पूर्व में ग्राम पिण्डोला में नामा0 संख्या 01 व नामा0 संख्या 50 भरा गया था जो कि नियम विरूद्ध व माफी चाकरी से भरा होना बताया जाकर खारिज कर दिये गए थे। नामा0 संख्या 465 भूमि अवाप्ति में उक्त आराजी के ख0नं0 727 में से 0.9714 है0 भूमि गै0मु0 बांध में पोलाद माईक्रो सिंचाई परियोजना के नाम अवाप्त किये जाने के उपरान्त 9.5748 है0 से घटकर 8.6034 है0 रह गई। बंदोबस्त से गैर—खातेदार भीमा पुत्र भवाना एवं अमरा पुत्र गोदड़ के वारिसान का कब्जा भी है जिसके सम्बंध में पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला द्वारा रिपोर्ट के साथ शजरा खानदान बदोबस्त जमाबंदी (01 जुलाई 1966 से 30 जून 1986 तक) में दर्ज गैर—खातेदार भीमा पुत्र भवाना एवं अमरा पुत्र गोदड़ भी संलग्न कर प्रस्तुत किये है। प्रश्नगत आराजी गलत तरीके से गैर खातेदारी में दर्ज होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त प्रश्नगत आराजी ख0 नं0 229, 236, 420, 421, 627, 647, 650, 85, 903/727 किता 09 कुल रकबा 8.6034 हैक्टैयर को अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी के स्थान पर शुद्ध कर पुनः ''माफी बलाईगिरी '' में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पटवारी मौका रिपोर्ट, सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी 01 जुलाई 1966 से 30 जून 1986 तक की एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी पूर्ण अवलोकन किया एवं पेरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण

24.4.26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 17 / 25
तहसीलदार म0 थाना बनाम कसन वगै0
निर्णय दिनाँक :– 24.04.2026

कसन, कस्तूरी, कमली, गोपीलाल, दूधालाल, मदन, शांतिबाई पि0 धूल्या, कसनी, मानसिंह, रतन, सुन्दर पि0 भीमा, काली, मथरी पि0 अमरा, दरयाव, बापू पि0 देवलाल, नोरंगबाई, प्रेमबाई, मेवाबाई, मांगीलाल पि0 प्रभु जातियान रैदास जो कि वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है के पूर्वज भीमा पुत्र भवाना एवं अमरा पुत्र गोदड जाति रैदास निवासी पिण्डोला तहसील मनोहरथाना के नाम बंदोबस्त से पूर्व गैर–खातेदारी में दर्ज हुई थी। चूंकि सैटलमेंट विभाग को माफी बलाईगिरी कब्जा में दर्ज आराजी को गैर खातेदारी में दर्ज करने का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं है बावजूद उसके सेटलमेंट विभाग ने गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया जो कि नियमानुसार उचित और विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ की प्रश्नगत आराजी ख0 नं0 229, 236, 420, 421, 627, 647, 650, 85, 903 / 727 किता 09 कुल रकबा 8.6034 हैक्टैयर जो कि ''अप्रार्थीगण कसन वगै0'' के नाम गैरखातेदारी में अशुद्ध प्रविष्टि दर्ज है को नियमानुसार शुद्ध कर पुनः ''माफी बलाईगिरी व कब्जा'' में दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील मनोहरथाना को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

24.4.26

(पुष्कर कुमार मित्तल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना
जिला झालावाड़ (राज.)
सत्यमेव जयते